परिपत्र संख्या - वि0अनु0शा0/ 2022-23/ 503 / कम्प्युटर परिपत्र संख्या / 2223014 / राज्य कर

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
(वि0अनु0शा0 अनुभाग, लखनऊ)
दिनांक: 26 मई, 2022

समस्त
अपर आयुक्त ग्रेड - 1,
अपर आयुक्त ग्रेड - 2 (वि0अनु0शा0),
संयुक्त आयुक्त (वि0अनु0शा0 / कार्यपालक / कॉर्पोरेट),
उपायुक्त / सहायक आयुक्त,
राज्य कर अधिकारी,
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय: IT टूल्स (BIFA / Red Flag) से प्राप्त इनपुट के आधार पर कृत कार्यवाही एवं इसके फलस्वरूप राजस्व संग्रह का विवरण विभागीय मॉड्यूल में फीड किए जाने के सम्बन्ध में।

GSTN द्वारा विकसित BIFA एवं रेड फ्लेग रिपोर्ट से सम्बन्धित डाटा को मुख्यालय स्तर से जोनवार संकलित कराते हुए फील्ड में कार्यरत अधिकारियों को अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराया जा रहा है। फील्ड के अधिकारियों द्वारा कृत कार्यवाही से जमा धनराशि का पाक्षिक विवरण मुख्यालय प्रेषित किया जाता है। माह अप्रैल 2022 एवं माह मई 2022 के प्रथम पक्ष में जमा के प्राप्त विवरण एवं BO सिस्टम पर Form DRC-03 से भुगतान के उपलब्ध MIS में अन्तर परिलक्षित हो रहा है।

माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष राज्य कर विभाग द्वारा प्रस्तुत 100 दिवसीय कार्ययोजना में IT टूल्स के प्रयोग से अतिरिक्त राजस्व संग्रह किया जाना सम्मिलित है। जोन के अधिकारियों द्वारा BIFA अथवा Red Flag सम्बन्धी सूचना के आधार पर जिन मामलों में स्क्रूटनी करते हुए अग्रिम कार्यवाही की जाती है तथा उक्त के फलस्वरूप अतिरिक्त राजस्व जमा कराया जा रहा है उसका विवरण विभागीय इन्ट्री मॉड्यूल में किए जाने हेतु निर्देशित किया जाता रहा है परन्तु जमा धनराशि के समस्त मामलों की प्रविष्टि इन्ट्री मॉड्यूल में परिलक्षित नहीं हो रही है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि टूल्स से प्राप्त इनपुट के आधार पर कृत कार्यवाही एवं दिनांक: 01-04-2022 से जमा धनराशि के प्रत्येक मामले का विवरण इन्ट्री मॉड्यूल में अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाए। प्रत्येक जोन हेतु IT टूल्स के आधार पर कृत कार्यवाही से अतिरिक्त राजस्व संग्रह का लक्ष्य निर्धारित किया गया है एवं लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्ति का अनुश्रवण MIS पर उपलब्ध विवरण से ही किया जाएगा।

26/5/2022
(मिनिस्ती एस0)
आयुक्त, राज्य कर
उत्तर प्रदेश